कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर

ब्लाक नम्बर 07, शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

–:कार्यालय आदेश:–

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकनेर के आदेश कमांक शिविरा/प्रार/पीएसपी/ए/मूल मान्यता/19654/2017–18/लूज–2 दिनांक 12.06.2018 के द्वारा जारी अनुमोदन आदेशों की अनुपालना में गैर सरकारी विद्यालय **The Millennium School, 200Ft Bypass, Jagdishpuri, Ajmer Road, Jaipur** को सत्र 2017–18 एवं 2018–19 के लिए निम्नलिखित शर्तो के तहत निम्नानुसार मान्यता की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मान्यता का प्रकार		**कमोन्नति**
मान्यता का माध्यम		**ENGLISH**
मान्यता के वर्ष से ही कक्षा 7 एंव 8 के संचालन की अनुमति		**YES**

1. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नही होगी और किसी भी तरह कक्षा 8 से आगे मान्यता/संबद्वता की कोई बाध्यता अंर्तनिहित नही होगी।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009(2009 का केन्द्रीय अधिनियम स. 35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के उपबंधो का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा–1 में या, यथास्थिति ,पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक आस–पडौस के "कमजोरवर्ग" और "अभावग्रस्तसमूह" से संबधित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा। ऐसा करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम ,2011 के उपबंधो के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जाएगी।
5. सोसायटी/विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति फीस (Capitation Fee) संग्रहित नही करेगा और बालक या उसके माता–पिता या,सरंक्षक को किसी छंटाई (Screening) प्रकिया का पात्र नही बनाएगा।
6. विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इन्कार नही करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा।

विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि:–

(I) विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नही किया जाएगा।

(II) कोई बालक शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन का पात्र नही होगा,

(III)किसी बालक को उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नही होगा।

(IV) प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के नियम 23 के अधीन यथा–अधिकथित प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

(V) 2009 के अधिनियम के उपवंधों के अनुसारनिर्योग्यता/विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाएगा।

(VI) अध्यापक ,2009 के अधिनियम की धारा की उपधारा (1) के अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताओ सहित भर्ती किए जाए,

(VII) अध्यापक,2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हैं,और

(VIII) अध्यापक स्वंय को निजी अध्यापन कियाकलापों में नही लगायेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यकम(Curiculum) के आधार पर पाठय विवरण का अनुसरण करेगें।
8. विद्यालय 2009 के अधिनियम 19 में यथा–विनिर्दिष्टमान और मानकों का अनुसरण करताहै एंव आगे भी करता रहेगा।
9. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षॉए नही चलायी जाएगी।
10. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाए या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जाएगें।
11. विद्यालय सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1860(1860 को केन्द्रीय अधिनियम सं. 21) राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1958 (1958 का अधिनियम संख्या 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जाता है।
12. विद्यालय किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जाता है।
13. किसी चार्टड एकाउटेट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जाएगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किए जावेगा। प्रत्येक लेखाविवरण की एक प्रति जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रति वर्ष भेजी जाएगी।
14. इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए पीएसपी कोड का उपयोग किया जाएगा।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा जिनकी निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा/जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय–समय पर अपेक्षा की जाए और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तो को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण में त्रुटियों को हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा किये जाये।
16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीनकरण ,यदि कोई हो तो सुनिश्चित करें।
17. विद्यालय शिक्षा विभाग के कलैण्ड़र का उपयोग करेगा।
18. अन्य शर्ते जो राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा रखी जाएगी ,मान्य होगी।
19. उपरोक्त मान्यता आदेश राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसरण में आफलाईन जारी कि जा रही हैं।
20. सत्र 2019–20 आरंभ होने से पूर्व विद्यालय को भू–रूपान्तरण दस्तावेज प्रस्तुत नही करने की दशा में सत्र 2019–20 से उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त माने जायेगें।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा,जयपुर

कमांकः– जिशिअ/प्राशि/जय/सामान्य–5/मान्यता/2017–18/366 दिनांक :– 18/6/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

01. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान–बीकानेर।
02. उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
03. सम्बधित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी.................................।
04. सम्बधित संस्था...
05. नोटिस बोर्ड।
06. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा,जयपुर